न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

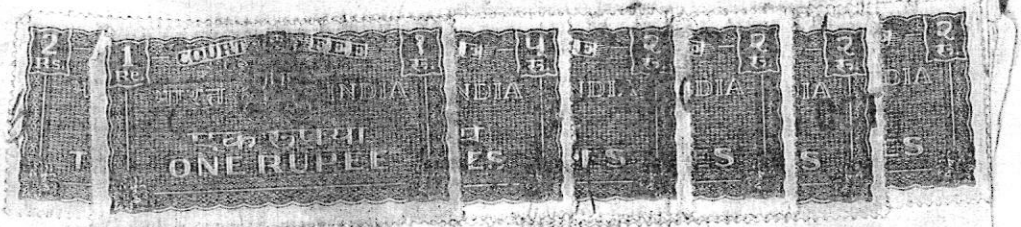

श्रीमती देवी पुत्री तुलसीराम निवासी ग्राम गाड़ा तह. हनुमना जिला [illegible] रीवा म.प्र.

... आवेदिका

R 1520 II/2004

बनाम

...अनावेदक

क्रमांक RL 4192
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 11-11-04 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आयुक्त महोदय के प्रकरण क्र.-231/निगरानी/02"03 आदेश दिनांक- 02.08.04 के विरुद्ध निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखितहै-

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

02. यह कि जिलाध्यक्ष महोदय ने स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदिका के द्वारा कराया गया व्यवस्थापन नामांतरण को निरस्त किया है, [illegible] कि प्रकरण स्वमेव निगरानी में माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा लिया गया था एवं आवेदिका ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब भी प्रस्तुत किया इसके पश्चात प्रकरण में अगली पेशियों का पता आवेदिका को नही चला जब प्रकरण में पुनः सुनवाई प्रारंभ हुयी तब आवेदिका को पुनः सूचना भेजी गई उक्त सूचना तामील अथवा अदम तामील होकर वापस जिलाध्यक्ष महोदय के न्यायालय में नही आई, किन्तु माननीय जिलाध्यक्ष महोदय ने आवेदिका के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपना अंतिम आदेश पारित [illegible] र दिया ऐसी स्थिति में संपूर्ण कार्यवाही आवेदिका को बिना सुने ही हुयी थीजिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखी करते हुये अपना आदेश पारित किया हैजो कतई कायमरखे जाने योग्य नही है ।

03. यह कि न्याय का यह सिद्धांत है कि वादी को अपना मामला स्वयं सबल बनाना होता है प्रतिवादी की किसी कमजोरी का लाभ वादी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्र0—R1520—II/04 जिला—रीवा

शांती देवी/ शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
19.07.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. अनावेदक शासन म0प्र0 की ओर कोई उपस्थित नहीं है। 4. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 5. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	